<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>17.01.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स वाटिका लिमिटेड से संबंधित एक बिल्डर-निवेशक मामले में 16.01.2025 को लगभग 68.59 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की लगभग 27.36 एकड़ कृषि भूमि सहित 9 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने वर्ष 2021 के दौरान ईओडब्ल्यू, दिल्ली द्वारा भादस, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स वाटिका लिमिटेड और प्रमोटरों अनिल भल्ला, गौतम भल्ला और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और बेईमानी से निर्दोष निवेशकों/खरीदारों को लुभाने के अपराधों से संबंधित कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि कंपनी मेसर्स वाटिका लिमिटेड भविष्य की परियोजनाओं के लिए निवेशकों को भुगतान करने के लिए लुभाने में शामिल है, जिसमें पूरा होने तक सुनिश्चित रिटर्न और परियोजनाओं के पूरा होने के बाद लीज-रेंट रिटर्न जैसे उच्च मूल्य के रिटर्न शामिल हैं। हालांकि, बीच में ही कंपनी ने सुनिश्चित रिटर्न देना बंद कर दिया और संबंधित इकाइयों को नहीं सौंपा, जिससे आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी का प्रलोभन आदि अपराध हुए। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि कंपनी ने समय-समय पर डीटीसीपी से लाइसेंस का नवीनीकरण न करने, समय-सीमा के भीतर उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के संबंध में चूक जैसी उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है।

अब तक की जांच के निष्कर्षों से पता चलता है कि **600** से अधिक निवेशकों ने **4** परियोजनाओं में लगभग **248** करोड़ रुपये का निवेश किया था, जिनके नाम हैं, **(i)** वाटिका इंटेक्स सिटी सेंटर टॉवर डी, ई और एफ, गुरुग्राम, **(ii)** वाटिका माइंडस्केप्स टॉवर-सी, फरीदाबाद, **(iii)** वाटिका टावर्स टॉवर-सी, गुरुग्राम और **(iv)** वाटिका हाई स्ट्रीट (वी'लांटे का हिस्सा), गुरुग्राम। हालाँकि, कई वर्षों (कुछ मामलों में **8** से **12** वर्ष) के बाद भी, ये परियोजनाएँ या तो पूरी नहीं हुई हैं या कंपनी द्वारा स्थगित कर दी गई हैं और आज तक कंपनी द्वारा कोई हस्तांतरण विलेख निष्पादित नहीं किया गया है।

आगे की जाँच प्रगति पर है।